राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(महात्मा गांधी नरेगा, अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(32)ग्रावि/नरेगा/ब.घोषणा/2022–23 जयपुर, दिनांक : 16 MAR 2022

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषय :– **महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत जॉबकार्डधारी अकुशल श्रमिक परिवारों को 100 दिवस का रोजगार पूर्ण करने पर 25 दिवस का अतिरिक्त रोजगार राज्य मद से उपलब्ध करवाने बाबत।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार द्वारा कोविड से उत्पन्न परिस्थितियों का सामना करने में सहायता देने की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2022–23 मे, महात्मा गांधी नरेगा योजना में 100 दिवस का निर्धारित रोजगार पूर्ण करने के पश्चात नियमानुसार रोजगार की मॉग किये जाने पर 25 दिवस का अतिरिक्त रोजगार राज्य मद से अर्थात कुल 125 दिवस का रोजगार प्रति परिवार उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

राज्य मद से 25 दिवस के अतिरिक्त रोजगार के लिए कृपया निम्नानुसार कार्यवाही सम्पादित कराने का श्रम करावे :–

I. उक्त अतिरिक्त रोजगार के लिए मस्टररोल नियमानुसार नरेगा सॉफ्ट से ही जारी की जायेगी।

II. जिला स्तर पर अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद तथा पंचायत समिति स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी महात्मा गांधी नरेगा सह विकास अधिकारी पंचायत समिति यह सुनिश्चित करेगे कि 25 दिवस का यह अतिरिक्त रोजगार केवल 100 दिवस का रोजगार पूर्ण करने वाले परिवारों को ही उपलब्ध कराया जावें

उक्त निर्देश वित्त विभाग की आई.डी संख्या 102201188 दिनांक 07.03.2022 से प्राप्त स्वीकृति के अनुरूप जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(के.के.पाठक)
शासन सचिव, ग्रावि.विभाग .

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, संयुक्त सचिव, महात्मा गांधी नरेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली को प्रेषित कर निवेदन है कि राज्य मद से 25 दिवस का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराये जाने हेतु नरेगा सॉफ्ट में उचित प्रावधान कराये जाने का श्रम करावे।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
4. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
5. वित्तीय सलाहकार, ईजीएस को भुगतान सम्बन्धी कार्यवाही हेतु।
6. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
7. सहायक निदेशक (आईईसी) को प्रेषित कर लेख है कि प्रेस नोट रिलीज करने की व्यवस्था करें।
8. श्री रिंकू छीपा, प्रोग्रामर ईजीएस को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।

परि.निदे. एवं पदेन उप सचिव, ईजीएस

Scanned with CamScanner